भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2622
दिनांक 23.03.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

जी20 बैठकों में निर्वाचित प्रतिनिधियों की भागीदारी

2622. **श्री एस. कल्याणसुन्दरमः**
श्री एम. मोहम्मद अब्दुल्लाः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत द्वारा जी20 की अध्यक्षता करने के उद्देश्य क्या हैं और तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(ख) क्या केंद्र सरकार की जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को जी20 की बैठकों में भाग लेने की अनुमति प्रदान करने की कोई योजना है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री वी. मुरलीधरन)

(क) भारत की वर्तमान जी20 अध्यक्षता के दौरान व्यापक विचार–विमर्श में हमारे लिए व्यापक प्राथमिकता वाले क्षेत्र शामिल हैं जिसमें समावेशी और प्रतिरोध क्षमता विकास; एसडीजी पर प्रगति, पर्यावरण के लिए हरित विकास और जीवन शैली (मिशन लाइफ); प्रौद्योगिकी परिवर्तन और सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना; बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार; महिलाओं के नेतृत्व में विकास; और अंतरराष्ट्रीय शांति और सद्भाव शामिल हैं। भारत वैश्विक दक्षिण और विकासशील देशों की मुद्दों और चिंताओं पर भी जोर दे रहा है।

(ख) और (ग) जी20 बैठकों में जी20 सदस्य देशों, आमंत्रित/अतिथि देशों और क्षेत्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के आधिकारिक प्रतिनिधियों की भागीदारी होती है। जी20 के विभिन्न कार्यकारी समूहों की बैठकों के पश्चात संबंधित मंत्रियों के नेतृत्व में जी20 मंत्रिस्तरीय बैठकें होती हैं। संबंधित मंत्रियों और स्थानीय निर्वाचित गणमान्य व्यक्तियों को जी20 के उद्घाटन समारोह के साथ–साथ जी20 प्रतिनिधियों के लिए आधिकारिक स्वागत समारोह में आमंत्रित किया जा रहा है।

जहां तक निर्वाचित प्रतिनिधियों की सहभागिता का संबंध है, इसमें प्रधानमंत्री और विभिन्न मंत्री शामिल होंगे जो शिखर सम्मेलन और मंत्रिस्तरीय बैठकों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। पार्लियामेंट 20 एंगेजमेंट ग्रुप के ढांचे के तहत विचार–विमर्श का नेतृत्व G20 देशों के माननीय अध्यक्ष/समकक्ष गणमान्य व्यक्ति करते हैं। इसके अलावा संबंधित मेयर/ समकक्ष पदाधिकारी के नेतृत्व में शहर के निर्वाचित प्रतिनिधि अर्बन 20 एंगेजमेंट ग्रुप के ढांचे के तहत वार्ता करते हैं।

*****